कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 6813 /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26/देहरादून दिनांकः जून, 29 ,2026

समस्त निर्माता इकाई/आसवनी/ब्रुवरी/
विधिक अधिकार प्राप्त इकाई/बाण्ड अनुज्ञापन,
उत्तराखण्ड।

विषयः– आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 (त्रिवर्षीय) के नियम–12.1, नियम–12.2 में उल्लिखित कास्ट कार्ड में संशोधन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना (संशोधन) संख्या 270/XXIII-1/2025/ई–87800/2026 देहरादून दिनांक 23 जून, 2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त् उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या 112/XXIII-1/2025/ई–87800/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में अंकित उपकर को भी वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाये जाने तथा परिशिष्ट 'ख' के कमांक–1 में अंकित मद के अन्तर्गत ही होलोग्राम शुल्क सम्मिलित होने के दृष्टिगत कमांक–4 में सम्मिलित किये गये होलोग्राम को विलोपित करते हुये संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना (संशोधन) संख्या 270/XXIII-1/2025/ई–87800/2026 देहरादून दिनांक 23 जून, 2026 के अनुपालन में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. समस्त निर्माता इकाईयां/आसवनियां/ब्रुवरी इत्यादि को निर्देशित किया जाता है कि नियम–12.1 में वर्णित एम०आर०पी० निर्धारण सूत्र (कास्ट कार्ड) के संशोधित परिशिष्ट के अनुसार कास्ट कार्ड ऑनलाईन के माध्यम आबकारी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
2. उपरोक्त के आधार पर निर्धारित एम०आर०पी०/एम०एस०पी० मदिरा ब्राण्ड के लेबल पर अंकित किया जायेगा, जिस हेतु पुनः लेबल अनुमोदित कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त समस्त निर्माता इकाईयां/आसवनियां/ब्रुवरी/थोक अनुज्ञापनों में संचित मदिरा पर उपरोक्त के आधार पर निर्धारित एम०आर०पी०/एम०एस०पी० के स्टीकर चस्पा कर ही बिक्री की जायेगी एवं अन्तर की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।
3. निर्माता कम्पनियां एवं विधिक अधिकार प्राप्त कम्पनियां/इकाईयों द्वारा ई०डी०पी०/ई०बी०पी० (नियम–12.5) जो कि वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत है, में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत ई०डी०पी०/ई०बी०पी० में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. कास्ट कार्ड त्रुटिरहित प्रस्तुत करना होगा, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए इकाई/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगें।

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्याः 6814–17 /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26/देहरादून तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।
4. आई०टी० अनुभाग मुख्यालय, देहरादून।

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः ——/XXIII–1/2025/ई–87800/2026
देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2026

अधिसूचना (संशोधन)

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्याः 112/XXIII–1/2025/ई–87800/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में अंकित उपकर को भी वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने तथा परिशिष्ट 'ख' के कमांक–1 में अंकित मद के अन्तर्गत ही होलोग्राम शुल्क सम्मिलित होने के दृष्टिगत कमांक–4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3– उक्त के कम में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LALRINLIANA FANAI
Date: 23-06-2026
13:01:55
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या 270 (1)/XXIII–1/2025/ई–87800/2026 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि उक्त का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4– सुभाष रोड, देहरादून तथा 50 प्रतियां कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1, गांधी रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना सार्वजनिक किए जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

–ह0–
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

अधिसूचना संख्याः 270 /XXIII–1/2025/ई–87800/2026, दिनांक 23 जून, 2026

का परिशिष्ट 'क'

12.1 विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर0टी0डी0 का विक्रय मूल्यः–

a) एफ0एल0–5डी हेतु विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का खुदरा बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा मदिरा बोतल/टेट्रा पैक में एमआरपी तथा एमएसपी दोनों का अंकन अनिवार्य होगाः–

क0सं0	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम–12.5 के कम में)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में सामानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है।)
4	उत्पाद शुल्क (नियम–6.1 में ई0डी0पी0 वार)
5	योग (1+2+3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनिमय–2015 की धारा–03 की उपधारा–1 'खण्ड ख के कम में लागू)
7	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा/ बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01(अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सेस) देय होगा।
8	होलोग्राम शुल्क
9	योग (5+6+7+8)
10	वाणिज्य कर (वैट) (6 प्रतिशत)
11	एफ0एल0–2 की लागत दर (9+10)
12	प्रतिफल
13	एफ0एल0–2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70/– रूपये प्रति पेटी
14	योग (11+12+13)
15	एम0जी0डी0 (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार)
16	ऐसेस्मेन्ट फीस(ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17	खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य (14+15+16 का योग)
18	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17th point
19	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत् लाभांश के साथ)
20	अधिकतम खुदरा मूल्य–विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू0 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू0 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्वलक्ष्य का भाग माना जाएगा।

Digitally signed by
LALRINLIANA FANAI
Date: 23-06-2026
13:00:57

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

अधिसूचना संख्याः 270 /XXIII–1/2025/ई–87800/2026, दिनांक 23 जून, 2026

का परिशिष्ट 'ख'

12.2 देशी मदिरा :–

प्रदेश की देशी मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु अधिकतम/न्यूनतम बिक्री मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा निम्न व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगीः–

क0 स0	मद
1	आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2	उत्पाद शुल्क (नियम–5.1 के अनुसार)
	योग
3	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनिमय–2015 की धारा–03 की उपधारा–1 'खण्ड ख के कम में लागू) (कालम 1+2 के योग का)
4	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक बोतल पर रू0 01, रू0 01, रू0 01 (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सेस) देय होगा।
5	योग (1+2+3+4)
6	वाणिज्य कर (वैट) (6 प्रतिशत)
7	योग (5+6)
8	सी0एल0–2 के लिये बिलिंग दर कॉलम–7
9	सी0एल0–2 अनुज्ञापन धारक का लाभ (रू0 4 प्रति 750 एम0एल0 (36%V/V), रू0 2 प्रति 375 एम0एल0 (36%V/V) रू0 1.50 प्रति 200 एम0एल0 (36%V/V), रू0 1 प्रति 180 एम0एल0 (36%V/V)
10	योग (8+9)
11	प्रतिफल
12	देशी मदिरा दुकान हेतु बिलिंग दर (10+11)
13	न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (नियम–5.3 के अनुसार)
14	देशी मदिरा दुकान हेतु लागत मूल्य (10+13)
15	देशी मदिरा दुकान का लाभांग @20%
16	योग (14+15)
17	प्रति बोतल एम0एस0पी0 (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
18	देशी मदिरा का खुदरा मूल्य (रू0 5 के गुणांक मे) रू0 05 के गुणांक में यदि अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जायेगा।

Digitally signed by
LALRINLIANA FANAI
Date: 23-06-2026
12:58:08

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner